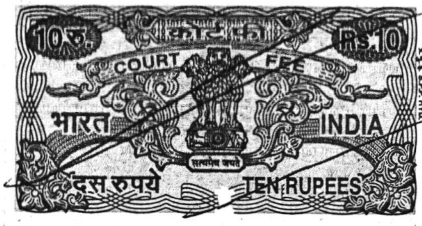

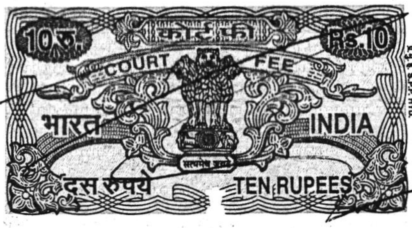

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल केम्प भोपाल

R 3743-III/14

103

(1) इस्माइल शोकत दुर्रानी आ0 श्री इब्राहिम शोकत दुर्रानी आयु वयस्क निवासी ए-50 कोहेफिजा भोपाल ।

(2) आदित्य विजयसिंह आ0 श्री विजयसिंह जी आयु वयस्क निवासी 58-60 आमपाली इन्क्लेव चूना भट्टी भोपाल।

(3) राहुल वेदी आ0 श्री परमजीत वेदी आयु वयस्क निवासी पी-102 अन्सल इक्लेव श्यामला हिल्स भोपाल म0प्र0।

......................निगरानीकर्ता

श्री मुकेश अग्रवाल अधिवक्ता द्वारा आज दि0 27/9/14 को प्रस्तुत

विरुद्ध

अहमद कमाल आ0 श्री कमाल अब्बास आयु वयस्क निवासी अ-1 चिनारप्लेस कोहेफिजा भोपाल म0प्र0

......................प्रतिनिगरानीकर्ता

27/9/14

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

<u>निगरानी (रिवीजन) अन्तर्गत धारा 50 विरुद्ध आदेश दिनांक 30/8/2014 जो माननीय तहसीलदार महोदय इछावर द्वारा प्रकरण कमांक 25/अ-12/13-14 में दिया से असंतुष्ट होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधि आधारों पर समयावधि में प्रस्तुत है ।</u>

आवश्यक कार्यो. से प्राप्त

29-10-14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3743–तीन / 14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/7/15	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–8–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन कियां गया । आवेदक की ओर से तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में उठाई आपत्तियों का बिन्दु बार निराकरण तहसीलदार द्वारा किया जाकर आवेदक की आपत्ति आंशिक रूप से मान्य की गई है और प्रकरण में मृतक भूमिस्वामी ओ0पी0मेहरा के वारिसान को अभिलेख पर लेकर तथा वारिसानों सहित मेढ़िया कृषकों को सूचना देकर पुनः सीमांकन कार्यवाही करने के निर्देश दिये है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता व अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	